

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण मधेपुरा

पत्रांक-.....५४...../

प्रेषक,

उप विकास आयुक्त,
मधेपुरा।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी, ई.एफ.एम.एस.-सह-
कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहारीगंज।

मधेपुरा, दिनांक-.....४.....जनवरी, 2014 ई0।

विषय :- ई.एफ.एम.एस. अन्तर्गत खाताओं के freezing के संबंध में।

प्रसंग :- इस कार्यालय का पत्रांक-2646, दिनांक-28.12.2013

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से अनुपालन हेतु निदेश दिया गया था परन्तु आपके द्वारा आज दिनांक-08.01.2014 तक इस संबंध में कोई लिखित प्रतिवेदन अभिकरण कार्यालय को समर्पित नहीं किया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य कार्यक्रम पदाधिकारियों के साथ-साथ आप भी इस कार्य के प्रति उदासीन है जबकि ज्ञात हो कि इस कार्य हेतु आपको नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है।

आपके द्वारा इस लापरवाही, उदासीनता बरतने के कारण क्यों नहीं आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाय? पत्र-प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर कृत कार्रवाई के कागजी सबूत के साथ अपना स्पष्टीकरण समर्पित करना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

उप विकास आयुक्त,
मधेपुरा।

ज्ञापांक-.....५४...../मधेपुरा, दिनांक-.....४.....जनवरी, 2014 ई0।

प्रतिलिपि- सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मधेपुरा जिला(बिहारीगंज को छोड़कर) सूचनार्थ
प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित

उप विकास आयुक्त,
मधेपुरा।